न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –17/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. मुकेश पुत्र हरलाल 2. जितेन्द्र पुत्र हरलाल 3. पवन पुत्र हरलाल समस्त जाति जाट निवासीगण मोडीखुर्द तहसील परबतसर जिला नागौर		नायब तहसीलदार, भकरी

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से वकील श्री राधेश्याम सांगवा।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 15-04-2019

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार भकरी द्वारा मुकदमा नम्बर 29/2017 सरकार बनाम मुकेश, जितेन्द्र, पवन अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.02.2019 को प्रस्तुत की है। अपील ताबे उज्र मयाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का टापरवाडा ने दिनांक 30.01.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी मुकेश, जितेन्द्र, पवन पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी मोडीखुर्द तहसील परबतसर जिला नागौर राज. ने खसरा नम्बर 653 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर डोल, बाड व पक्की दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया जिस पर प्रार्थीगण का पीढियों से कब्जा रहा है तथा स्वामित्व में रही है जिस पर नायब तहसीलदार भकरी द्वारा प्रार्थीगण को बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये है। प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की कभी कोई जानकारी नहीं रही है व दिनांक 18.02.2019 को पत्र आने पर निर्णय की जानकारी हुई जिससे न्यायालय से दिनांक 22.02.2019 को नकल निर्णय प्राप्त करने पर सम्पूर्ण तथ्यों का ज्ञान हुआ तथा दिनांक 23.02.2019 को व दिनांक 24.02.2019 को राजकीय अवकाश रहा है दिनांक 25.02.2019 को डीडवाना गया तथा वकीलों से राय ली व उन्होने गलत राय दे दी तथा अपील दिनांक 26.02.2019 को तैयार की व उनको क्षेत्राधिकार की ज्यादा जानकारी नहीं होने से अपर जिलाधीश डीडवाना के नाम अपील लिख दी व अपील पेश करने पर डीडवाना वालों ने क्षेत्राधिकार नहीं होना बताये जाने पर न्यायालय हाजा में अपील पेश की है। जिससे न्याय हित में देरी माफ कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करना न्याय संगत होने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील अपीलांट्स की बहस का विरोध करते हुए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

अपीलांट्स के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट्स ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का टापरवाडा ने दिनांक 30.01.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी मुकेश, जितेन्द्र, पवन पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी मोडीखुर्द तहसील परबतसर जिला नागौर राज. ने खसरा नम्बर 653 रकबा 0.0400 अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का, टापरवाडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् नोटिस जारी कर तलब किया गया। पटवारी हल्का से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो कि शामिल पत्रावली की गई। ग्राम मोडीखुर्द के खसरा नम्बर 653 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि पर मुकेश, जितेन्द्र, पवन पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी मोडीखुर्द तहसील परबतसर जिला नागौर राज. द्वारा रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना व बेदखली का आदेश पारित किया गया है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एंव वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है तथा अपीलांट/प्रार्थी को साक्ष्य सबूत का अवसर भी नहीं दिया है। अपीलार्थी को न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी द्वारा पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया, ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये है। अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर अतिक्रमण करना बताया गया है, उक्त स्थान पर अपीलांट के डोल, बाड व पक्की दीवार पूर्वजों के समय से ही बने हुए है, जो वर्षो पुराने है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का उक्त स्थान पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न होकर साधिकार पीढीयों से काबिज होकर रहवास करते आ रहे है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मुस्तकील बिन्दू से नाप नहीं किया एवं महज बिना नाप चौक के ही अपीलार्थीगण को अतिक्रमण का नोटिस दे दिया एवं नायब तहसीलदार भकरी द्वारा अतिक्रमी घोषित किया गया। वास्तविक रूप से अपीलार्थीगण किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमी नहीं है। उक्त रास्ते के दोनों दिशाओं में सैंकडो वर्ष पुराने कुऐं मौजूद है, जिन्हे मुस्तकील बिन्दु मानकर वास्तविक स्थिति पत्रावली पर ली जा सकती थी। अपीलांट के पिता के द्वारा ही शिकायत की गई एवं अपीलार्थीगण को ही अतिक्रमी माना गया, जो कि एक विधि विरूद्ध निर्णय है। हल्का पटवारी ने भौतिक रूप से मौके पर बिना कोई नाप–चौप किये ही नजराना तौर पर अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 के तहत् कार्यवाही करने की अनुशंषा की है, जो मौके पर बिना कोई भौतिक रूप से नाप चौक किये ही तहसीलदार महोदय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मौके पर अपीलार्थी द्वारा उपर वर्णित खसरे में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किये जाने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.01.2018 को अपास्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलांट्स ने ग्राम मोडी खुर्द के खसरा नम्बर 653 गै.मु. रास्ता की 0.0400 हैक्टर भूमि पर डोल, बाड़ व पक्की दीवार, पीलर बनाकर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी पल्का टापरवाड़ा एवं भू– अभीलेख निरीक्षक की रिपोर्ट

कलक्टर, नागौर

दिनांक 21.08.2017 से साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो सही होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलांट्स ने ग्राम मोड़ीखुर्द के खसरा नम्बर 653 किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि पर डोल बाड व पक्की दीवार पीलर बनाकर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी टापरवाड़ा व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 21.08.2017 से साबित है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स की ओर से वकील श्री गोपालराम मिर्धा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है एवं अपीलान्ट्स को सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया गया है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टस् द्वारा कोई जबाब साक्ष्य सबूत आदि अपने प्रतिरक्षण में प्रस्तुत नहीं किये है। इसके अलावा अपीलान्टस् द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त भूमि अपीलान्टस् के स्वामित्व की हो। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का अनाधिकृत अतिक्रमण किया जाना साबित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील उचित होने से इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर